इस्कॉन में अधिकारों के स्तर को समझना

अधिकृत जी.बी.सी. संस्थिती पत्र
मायापुर २०१२ में स्वीकृत

इस विषय का इतिहास

अनेक वर्ष पहले, जी.बी.सी ने, इस्कॉन के भविष्य के लिए एक योजनाबद्ध ढांचा बनाने का कार्यक्रम बनाया था। इसके लिए उन्होंने आंदोलन से सम्बन्धित कई प्राथमिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों को चुना और उन मुद्दों की चर्चा करने के लिए समितियां बनाईं। उनमें से एक समिती से यह विनती की गई थी कि, वह इस्कॉन के अन्दर के अधिकारों के विभिन्न स्तरों का अभ्यास करें और उनके बीच में होनेवाले मतभेदों को सुलझाने का रास्ता बताएं। इस समिती के सदस्य थे भानु स्वामी, गुरुप्रसाद स्वामी, प्रह्लादानन्द स्वामी, रमाई स्वामी, शिवराम स्वामी, बद्रीनारायण दास, और बाद में निरंजन स्वामी।

इस निबन्ध का विषय

इसलिए यह निबन्ध पूरी तरह से शिक्षागुरुओं, दीक्षागुरुओं, शिक्षा-दीक्षा-गुरुओं के शिष्यों, क्षेत्रीय जी.बी.सी. सदस्यों, प्रादेशिक सचिवों, मन्दिर-अध्यक्षों और अन्य इस्कॉन-अधिकृत-प्रबन्धकों के द्वारा पालन किये जाने वाले सिद्धान्तों को निर्धारित करने पर ही ध्यान केन्द्रित करेगा। इसका लक्ष्य यह है कि, आध्यात्मिक गुरुओं व प्रबन्धकों के मध्य गलतफहमीओं को रोकना और इन दोनों ही के निगरानी में आनेवाले भक्तों पर इन सम्भवनीय गलतफहमीओं का प्रभाव कम से कम रखना।

''आध्यात्मिक गुरु'' याने दीक्षा, शिक्षा अथवा दोनों

इसे याद रखना चाहिए कि, यहाँ से (इस निबन्ध में यहाँ से प्रारम्भ करते हुए) जब तक कोई दूसरे अर्थ वाली बात न कहीं जाए, तब तक ''आध्यात्मिक गुरु'' इस शब्द का अर्थ दीक्षागुरु और शिक्षागुरु दोनों हैं (इसमें इस प्रकार का कार्य करनेवाले प्रबन्धक भी सम्मिलित हैं)। अतिरिक्त रूप में, जब भी हम ''आध्यात्मिक अधिकारी व्यक्ति'' कहेंगे, तो उसका अर्थ होगा, कोई भी व्यक्ति (आध्यात्मिक गुरु अथवा प्रबन्धक) जिसके उपदेश (शिक्षा) और उदाहरण से भक्त की भक्ति में श्रद्धा निर्माण हुई है और जो (आध्यात्मिक गुरु अथवा प्रबन्धक) भक्त की उस मूलभूत श्रद्धा पर आधारित अधिक निर्माणकार्य करता है।

इस्कॉन के भीतर अधिकार

यह निबन्ध इस्कॉन के प्रबन्धन प्रणाली का विस्तारपूर्वक अथवा निर्णायक विश्लेषण नहीं है, अथवा यह गुरु-तत्त्व का भी विस्तारपूर्वक विश्लेषण नहीं

है। अर्थात् यह आध्यात्मिक गुरु के आवश्यक गुण व कर्तव्य और गुरु चुनने की विधि बताने वाला निबन्ध नहीं है।

इस निबन्ध का मूलभूत आधार इस प्रकार है : चाहें कोई भक्त दीक्षागुरु हो, शिक्षागुरु हो, संन्यासी हो, जी.बी.सी. हो, क्षेत्रीय सचिव हो, प्रादेशिक सचिव हो, मन्दिर-अध्यक्ष हो, प्रचार का नेता हो या इस्कॉन के अन्दर कोई भी अधिकार जताने वाले पद पर हो, उस भक्त को दिया गया अधिकार तभी पूर्ण है, जब तक वह श्रील प्रभुपाद द्वारा दिये गये निम्नलिखित आदेश का पालन करता रहें, कि पूर्ण जी.बी.सी. के अधिकार में इस्कॉन में सेवा करते रहो।

इस आधार को स्थापित करने के लिए, हमें केवल इस बात पर जोर देने की जरुरत है कि, कृष्णकृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद ने लगातार एवं स्पष्ट रूप से अपनी शिक्षाओं में और अपने द्वारा हस्ताक्षरित अधिकृत दस्तावेजों में इसी आधार को स्थापित किया है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि, पूर्ण जी.बी.सी. ही अन्तिम प्रबन्धनीय अधिकारी है और यह भी सूचित किया है कि, पूर्ण जी.बी.सी. के अधिकारक्षेत्र में, आवश्यकता पड़ने पर, पूरे इस्कॉन को व गुरु का कार्य करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है।

संवाददाता : ''क्या आपके बाद किसी का नाम दिया गया है कि, आपके बाद वहीं इस आन्दोलन का प्रमुख शिक्षक (गुरु) बनेगा?''

श्रील प्रभुपाद : ''मैं कुछ लोगों को, याने, उन्नत शिष्यों को, प्रशिक्षित कर रहा हूँ, ताकि वे आसानी से कार्यभार संभाल सके, मैंने उन्हें जी.बी.सी. बनाया है।''
(पत्रकार के साथ कक्ष वार्तालाप, लॉस एंजिलिस, जून ४, १९७६)

दूसरे शब्दों में, यद्यपि पूर्ण जी.बी.सी. इस्कॉन में, अन्तिम प्रबन्धनीय अधिकारी भी है, तो भी जी.बी.सी. के सदस्य का कार्य केवल प्रबन्धन करना नहीं, वरन् शिक्षा देना भी है।

अधिकारों की दो रेखाएं

चूँकि हर भक्त उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा उसके उच्चतर अधिकारियों से प्राप्त करता है, इसलिए इस्कॉन में अधिकारों की दो रेखाएं, अपने अपने प्रतिनिधिओं के साथ, विद्यमान हैं—इन दोनों में से एक रेखा मुख्यत: आध्यात्मिक मानी जाती है और दूसरी रेखा मुख्यत: प्रबन्धनीय मानी जाती है। अधिकारों की ये दोनों ही रेखाएं अपने अलग-अलग परन्तु परस्पर अवलम्बित उद्देश्य संस्थापक-आचार्य के आदेशों का पालन करने में पूरा करती हैं। ये दोनों ही रेखाएं पूर्ण जी.बी.सी. के द्वारा उनपर आश्रित भक्तों को आश्रय देनें के लिए अधिकृत हैं। यह आश्रय उपदेश व आचरण इन दोनों के द्वारा दिया जाता है।

जब हमने ऊपर कहा कि, आध्यात्मिक अधिकार की ये दो रेखाएं—एक मुख्यत: आध्यात्मिक और दूसरी मुख्यत: प्रबन्धनीय—विद्यमान हैं, तो हमारे कहने का यह अर्थ नहीं है, कि प्रबन्धनीय अधिकार-रेखा आध्यात्मिक अधिकार-रेखा के विरुद्ध है और हमारे कहने का यह भी अर्थ नहीं है कि, आध्यात्मिक-अधिकार-रेखा को ज्यादा सुविधा प्राप्त है या वह ज्यादा शुद्ध है। नहीं, यह अर्थ नहीं है।

''प्रबन्धन भी आध्यात्मिक कार्य है... यह कृष्ण की संस्था है।''
(कक्ष-वार्तालाप, जनवरी १६, १९७७, कलकत्ता)

''हमारे प्रचार-कार्य में.... हमारा सम्पर्क इतनी सारी सम्पत्ति और धन और इतनी सारी पुस्तकों की खरीददारी व विक्री से आता है, परन्तु चूँकि यह सारा सम्पर्क कृष्णभावनामृत आन्दोलन से सम्बन्धित है, इसलिए उसे कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यदि कोई ऐसे प्रबन्धन के विचारों में मग्न होगा, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह कृष्णभावनामृत के बाहर है। यदि कोई कट्टरता से महामन्त्र की सोलह मालाओं का जप करने के नियम का पालन करता है, तो कृष्णभावनामृत आन्दोलन का प्रचार करने के लिए उसका जो भौतिक जगत् से सम्पर्क आता है, वह कृष्णभावना के आध्यात्मिक अनुशीलन से अभिन्न है।''
(श्रीमद्-भागवतम्, ५.१६.३, तात्पर्य)

किसी आध्यात्मिक संस्था में, कोई प्रबन्धक अपना प्रबन्धन का कर्तव्य केवल नियमों की घोषणा करके और उनको प्रचलित करके नहीं कर सकता। उन नियमों को स्वयं एक आध्यात्मिक नींव होनी चाहिए और उनका कार्यन्वीकरण और प्रचलन वैष्णव-सिद्धान्तों के अनुसार ही होना चाहिए। जो प्रबन्धक इस विचार के साथ सेवा करते हैं, वे सामान्यत: उनपर निर्भर भक्तों के लिए आध्यात्मिक अधिकार का पूर्ण भार उठाते हैं।

इसलिए हमें ''आध्यात्मिक'' और ''प्रबन्धनीय'' के मध्य एकता का दर्शन करना चाहिए। परन्तु इनमें कुछ भिन्नताएं भी हैं और एक ही साथ इस भिन्नता और एकता को समझने के लिए इन दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग उनके स्पष्टीकरण के साथ करना जरूरी है।

अधिकार की आध्यात्मिक रेखा

अधिकार की आध्यात्मिक रेखा भगवान् कृष्ण से प्रारम्भ होती है और ब्रह्मा, नारद, व्यास, और सारी शिष्य परम्परा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद तक और आगे जाती है। जो हमारे सम्प्रदाय के सामने नतमस्तक हैं और जो पूर्ण जी.बी.सी. के अधिकार में सेवा करते हैं, वे इस्कॉन के आनुगत्य में, इस आध्यात्मिक परम्परा में आश्रय दे सकते हैं। इस आध्यात्मिक रेखा में गवर्निंग बॉडी कमिशनर्स (जी.बी.सी.), क्षेत्रीय सचिव, आध्यात्मिक गुरु, संन्यासी, प्रादेशिक सचिव, मन्दिरों के अध्यक्ष, प्रचार के नेता और यात्रा करनेवाले और समूहों का नेतृत्व करने वाले प्रचारक आ सकते हैं। वास्तव में, जो भी व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का, सिद्धान्त व आचरण दोनों में, कट्टरता से पालन करता है, वह अधिकार की आध्यात्मिक रेखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत है।

सामान्य तौर पर, सबसे प्रमुख आध्यात्मिक अधिकारी अपना दीक्षा–या शिक्षागुरु है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि, भक्तों को अपने–अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति आज्ञाकारी और निष्ठावान होना चाहिए। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु उनके शिष्यों पर अधिकार जताते हैं, और ऐसा करके आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को भक्ति के विकास में प्रशिक्षित और ज्ञानवान बना सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को कृष्णभावनामृत में प्रगति करने के लिए जो भी आध्यात्मिक शिक्षा और प्रेरणा आवश्यक है, वह देने के कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अधिकार की प्रबन्धनीय रेखा

अधिकारों की प्रबन्धनीय रेखा में, श्रील प्रभुपाद के उपदेशों के अनुसार, संस्था की देखरेख और उसके नियमों का प्रचलन पूर्ण जी.बी.सी. से आगे बढ़ता है। जब हम प्रबन्धनीय ढाँचे के सन्दर्भ में, ''अधिकार'' शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमारे कहने का अर्थ शास्त्रों के अधिकार जैसा परम सत्य या अच्युत अधिकार नहीं है, वरन् प्रचार के आन्दोलन को चलाने के लिए दिया गया आदेशपत्र है, जिसके द्वारा वह श्रील प्रभुपाद के उपदेशों के साथ मेल खा सके। इस आदेशपत्र का पालन करने के लिए, उनके अनुयायियों ने श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस्कॉन के प्रबन्धनीय प्रणाली का स्वीकार किया है, जो तेजी से बढ़ने वाले मन्दिरों, कॉन्ग्रेगेशनल (मन्दिर के बाहर रहने वाले) भक्तों, कृषिक्षेत्र व गुरुकुल जैसे प्रकल्पों तथा अन्य सभी अनुकूल संस्थाओं को संभाल सके। इस प्रकार, इस बढ़ने वाले क्षेत्र व उसके सदस्यों की ज्यादा अच्छी सेवा करने के लिए, इस ढाँचे में, वर्तमान क्षण में, निम्नलिखित इकाइयाँ आती हैं (परन्तु यह सूची अपूर्ण हो सकती है): गवर्नींग बॉडी कमिशनर्स (जी.बी.सी.), क्षेत्रीय सचिव, आध्यात्मिक गुरु, संन्यासी, प्रादेशिक सचिव, मन्दिर-अध्यक्ष, प्रचार के नेता, यात्रा करने वाले प्रचारक और समूहों के नेता।

दिशा-परिवर्तन का बिन्दु सुनिश्चित करना

यद्यपि आदर्श जगत् में, सबकुछ श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन-विषयक दृष्टि के अनुसार ही चलेगा, फिर भी व्यावहारिक जगत् में, अधिकार की एक रेखा में रहने वाले लोगों के द्वारा अधिकार की दूसरी रेखा में रहने वालों के कार्य में हस्तक्षेप होने की प्रवृत्तियां देखी गयी हैं।

उदाहरण के लिए, कभी कभी कुछ आध्यात्मिक अधिकारी सक्षम व जिम्मेदार प्रबन्धकों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। वे स्वयं को उनके प्रचार के प्रभावक्षेत्र में कार्यान्वित प्रबन्धनीय ढाँचे का भाग नहीं समझते (यद्यपि वास्तव में वे स्वयं उनके प्रति उत्तरदायी हैं) और फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ढाँचे में किसी न किसी प्रकल्प का प्रबन्धन करते हैं।

इसलिए, कभी कभी वे भक्तों का, धन का और अपने अनुयायीओं और अवलम्बित भक्तों के भी प्रकल्पों का प्रबन्धन करते हैं और उस क्षेत्र के प्रबन्धनीय ढाँचे के साथ उनका स्पष्ट अनुबन्ध या सहमति नहीं होती। ऐसा करने से, ऐसे आध्यात्मिक अधिकारी अनजाने में अपने अवलम्बितों को उनकी सेवा व श्रद्धा अपने स्वयं की ओर मोड़कर अधिकार की प्रबन्धनीय रेखा को क्षीण बना सकते हैं।

[ऊपर के परिच्छेद में, ''अवलम्बित'' शब्द का अर्थ केवल आध्यात्मिक रूप से अवलम्बित नहीं है। ऐसे उदाहरण भी पाए गए हैं, जिसमें भक्तगण अपने आध्यात्मिक अधिकारियों पर आर्थिक रूप से भी अवलम्बित होते हैं और ऐसी संस्थाओं के द्वारा पालित होते हैं, जो उनके आध्यात्मिक अधिकारी ने स्वयं बनायी हैं।]

ऐसे दृश्य से [प्रबन्धनीय रेखा को क्षीण बनाने से] न केवल भ्रम निर्माण होता है, वरन् अलगतावाद भी निर्माण होता है। इस प्रकार की स्थितियां प्रबन्धकों के लिए विवाद का विषय बन सकती है। फिर भी ऐसे प्रबन्धक जो अधिक निम्न स्तर पर हैं, वे अपनी शिकायतों की आवाज नहीं उठाते क्योंकि उन्हें अपराध हो जाने का डर लगता है, विशेष करके गुरु के प्रति अपराध हो जाने का।

दूसरी तरफ, कुछ प्रबन्धनीय अधिकारी भी होते हैं, जो पर्याप्त आध्यात्मिक देखभाल नहीं करते। इससे आध्यात्मिक गुरु की हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है, जिसके द्वारा वे उनके शिष्य की संगति या सेवा के बारे में वे सुझाव देते हैं।

उदाहरण के लिए, प्रबन्धकगण कभी कभी प्रबन्धनीय लक्ष्य को ज्यादा महत्त्व देते है और उनपर आश्रित भक्तों की साधना, शुद्ध प्रचार, भक्तिमय सेवा में शुद्धता का विकास इत्यादी विषयों को महत्त्व नहीं देते। प्रबन्धक कभी कभी अपने पर आश्रित उन लोगों के आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा करते हैं, जो उनके प्रबन्धनीय ध्येय को पूरा करने में सहायता नहीं करते, यद्यपि ऐसे प्रबन्धकों ने ऐसे भक्तों को मदत की प्रेरणा देने के लिए या दूसरे प्रबन्धकों को वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी किया नहीं होता।

अधिकार की प्रबन्धनीय रेखा को सम्मान देना

ऊपर बताए गए दृश्य अधिकारों की आध्यात्मिक और प्रबन्धनीय रेखाओं के बीच तनाव पैदा करते हैं।

यद्यपि यह समझ लिया गया है, कि ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, जहाँ आर्थिक रूप से स्वतन्त्र भक्त भी होते हैं, जिनका स्थानीय प्रबन्धकीय संघ के साथ कोई प्रबन्धनीय रिश्ता नहीं होता। फिर भी, ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि, स्थानीय प्रबन्धकीय ढाँचे के द्वारा स्थानीय प्रबन्धनीय प्रणाली के भीतर हर भक्त को या इच्छुक भक्त को सम्मिलित कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

इसलिए, इस्कॉन के प्रबन्धकों के द्वारा की जाने वाली सेवा को ध्यान में रखते हुए, आध्यात्मिक गुरु को उसके शिष्य जहाँ रहते हैं उस अधिकारक्षेत्र में, अपने शिष्यों के लिए नयी संगति या सेवा का सुझाव देने से पहले या अन्य किसी प्रबन्धनीय निर्णय में हस्तक्षेप करने से पहले, उस अधिकारक्षेत्र में काम करने वाले प्रबन्धक से मान्यता लेनी चाहिए।

सबसे अच्छा तो यही होगा कि, गुरुशिष्य सम्बन्ध की शुरुआत से ही अपने शिष्यों को उनके स्थानीय प्रबन्धक को आदर देने का प्रशिक्षण देना। अनेक इस्कॉन के प्रबन्धक मन्दिर की, विग्रहों की, ग्रन्थ–वितरण की और श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त अन्य प्रकल्पों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं।

''विग्रहों की प्रतिस्थापना का अर्थ है, खण्ड किये बिना नियमित पूजा और हमेशा के लिए।''
(शिवानन्द को पत्र, २ सितम्बर, १९७१)

इसलिए आध्यात्मिक गुरुओं को अपने शिष्यों को श्रील प्रभुपाद के कार्य की सेवा अपने स्थानीय नेता व प्रबन्धकों के साथ मिलजुलकर करने की शिक्षा देनी चाहिए।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि, प्रबन्धक यह मान ले कि, उसकी देखभाल के नीचे आनेवाले भक्तों की वैध आवश्यकताओं की अथवा आध्यात्मिक गुरु के द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ताओं की उपेक्षा करने का उसे पूर्ण अधिकार है। नहीं ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक गुरु उसे पूछ सकते हैं कि, उसके शिष्यों की सही देखभाल हो रही है या नहीं। प्रबन्धक को आध्यात्मिक गुरु और उसके शिष्यों की चिन्ताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

यदि फिर भी आध्यात्मिक गुरु को ऐसा लगता है कि, स्थानीय प्रबन्धकीय ढाँचे में उसके शिष्यों की देखभाल का स्तर अधूरा है, अर्थात् जिस समर्पण और उत्तरदायित्व की उनसे (शिष्यों से) माँग की जा रही है उसकी तुलना में, तो वह (आध्यात्मिक गुरु) उनकी ओर से उच्चतर प्रबन्धकों से, स्थानीय जी.बी.सी. सदस्य से अथवा इस्कॉन के अन्य प्रार्थनाद्वारों से (जिनकी सूची इस निबन्ध में बाद में दी गयी है) आवाहन कर सकता है।

इस बिन्दु पर अधिक विचार इस निबन्ध में बाद में किया जाएगा। परन्तु वह करने से पहले, हम प्रथम श्रद्धा के विषय की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अधिकार की दोनों ही रेखाओं के अधिकारियों की अच्छी सेवा के लिए, यहाँ पर चर्चित विस्तृत विषयों के सन्दर्भ में, श्रद्धा का विषय बहुत ही प्रासंगिक है।

अधिकार श्रद्धा के सतत विकास पर ही निर्माण होता है

इस्कॉन की सबसे बड़ी पूँजी है उसके सदस्यों की श्रद्धा। अगर कोई मन्दिर नहीं होंगे, कोई प्रकल्प नहीं होंगे, कोई आय नहीं होगी और केवल कुछ अनुयायी होंगे, परन्तु यदि श्रद्धा होगी, तो वास्तविक समृद्धता होगी। श्रील प्रभुपाद ने निम्नलिखित पत्र में जो लिखा है, उसपर विचार कीजिए।

''संस्कृत साहित्य में एक कहावत है कि, उत्साहयुक्त व्यक्ति भाग्यदेवता की कृपा प्राप्त करते हैं। जगत् के पाश्चात्य भाग में, इस कहावत का ठोस उदाहरण देखने को मिलता है। जगत् के इस भाग के लोग भौतिक प्रगती में बहुत ही उत्साहयुक्त हैं और उन्हें वह मिल भी चुकी है। उसी प्रकार, श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश के अनुसार, यदि हम आध्यात्मिक विषयों में

उत्साहयुक्त बनेंगे, तो हमें उसमें भी सफलता मिलेगी। उदाहरण के लिए, मैं आपके देश में परिपक्व वृद्धावस्था में आया, परन्तु मेरे पास एक पूँजी थी : उत्साह और मेरे आध्यात्मिक गुरु में श्रद्धा। मुझे लगता है कि, केवल ये पूँजियां मुझे आशा के कुछ किरण दिखा रही हैं—जो भी मैंने अभी तक आप लोगों के सहयोग से प्राप्त किया है।''
(जय-गोविन्द को पत्र, टिटेनहर्स्ट, १५ अक्तूबर १९६९)

उसी प्रकार—
''कृष्णभावना की प्रगति में श्रद्धा सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है... केवल श्रद्धा से ही व्यक्ति कृष्णभावना में प्रगति कर सकता है।''
(भगवद्-गीता यथारूप, ९.३—श्रील प्रभुपाद लिखित तात्पर्य)

जो अधिकार की आध्यात्मिक रेखा में हैं, उन्हें इस प्रकार प्रचार व व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनपर निर्भर भक्तों की शुद्ध भक्तिमय सेवा में, हमारे सम्प्रदाय में, श्रील प्रभुपाद में और इस्कॉन में—इसमें इस्कॉन का प्रबन्धन भी आया—श्रद्धा पोषित और सुरक्षित हो। आध्यात्मिक गुरुओं पर तो, इस्कॉन के प्रबन्धकों की श्रद्धा पोषित और सुरक्षित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है, कि वे (आध्यात्मिक गुरु) अधिकार की आध्यात्मिक रेखा के प्रतिनिधि होने के लायक है। यदि आध्यात्मिक गुरु विपरीत आचरण करेंगे, तो वे दूसरों की श्रद्धा को नष्ट करते हैं।

दूसरी ओर, जो अधिकार की प्रबन्धनीय रेखा में है, उन्हें इस प्रकार प्रबन्धन, प्रचार और व्यवहार करना चाहिए कि जिससे अधिकार की आध्यात्मिक रेखा के प्रतिनिधियों का और उनके शिष्यों का विश्वास निर्माण भी हो और बना भी रहे। यदि प्रबन्धक उनके संरक्षण में स्थित भक्तों के लिए वास्तविक चिन्ता प्रदर्शित करेंगे, तो आध्यात्मिक गुरु अपने आप अपने शिष्यों को उस प्रबन्धक

को उसकी सेवा में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। परन्तु यदि प्रबन्धक आध्यात्मिक सिद्धान्तों के विपरीत आचरण करेंगे, अर्थात् उनके संरक्षण में स्थित भक्तों के आध्यात्मिक हित के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो उससे भी दूसरों की श्रद्धा नष्ट होगी।

इसलिए, सभी इस्कॉन-सदस्यों की श्रद्धा का संरक्षण करने के लिए, यह आवश्यक है कि, हम अधिकार की दोनों ही रेखाओं के द्वारा पालन किए जाने योग्य स्पष्ट नियामक तत्त्वों की रूपरेखा स्थापित करें।

आध्यात्मिक गुरु स्वतन्त्र नहीं हैं

स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट सिद्धान्तों को स्थापित करने की आवश्यकता को समझाने के लिए हम अभी इस्कॉन के प्रबन्धनीय ढाँचे में आध्यात्मिक गुरु की स्थिति का परीक्षण करेंगे।

जब श्रील प्रभुपाद शारीरिक रूप से विद्यमान थे, तब वे इस्कॉन के एकमात्र दीक्षागुरु थे, सबसे प्रमुख शिक्षागुरु थे और परम प्रबन्धनीय अधिकारी थे, जो जी.बी.सी. के भी ऊपर थे।

''[...] हम अपना कृष्णभावनामृत आन्दोलन गवर्निंग बॉडी कमिशन, जी.बी.सी. के द्वारा चला रहे हैं। हमारे पास इस समय २० जी.बी.सी. हैं, जो पूरे विश्व के मामलों की देखभाल कर रहे हैं और जी.बी.सी. के ऊपर मैं हूँ। जी.बी.सी. के नीचे मन्दिरों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हर केन्द्र में हैं। तो मन्दिर-अध्यक्ष जी.बी.सी. के प्रति उत्तरदायी है और जी.बी.सी. मेरे प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार हम प्रबन्धन कर रहे हैं।''

(वसुदेव को पत्र, न्यू वृन्दावन, ३० जून १९७६)

अब श्रील प्रभुपाद की शारीरिक अनुपस्थिती में यह ढाँचा कुछ भिन्न है। कृष्णकृपामूर्ति ने उपदेश दिया था कि, जी.बी.सी. इस्कॉन के लिए अन्तिम प्रबन्धनीय अधिकारी होगी। साथ ही साथ, उन्होंने यह सूचित किया था कि, संस्था में अनेक आध्यात्मिक गुरु भी हो।

''जो भी चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कर रहा हो, वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है और मैं इच्छा करता हूँ कि, मेरी अनुपस्थिति में, मेरे सभी शिष्य पूरे जगत् में कृष्णभावना का प्रचार करने के लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु बनें।''
(मधुसूदन को पत्र, नवद्वीप, २ नवम्बर १९६७)

इससे एक चुनौतीभरी स्थिति निर्माण होती है। अनेक आध्यात्मिक संस्थाओं में संस्था के एकमात्र प्रमुख के रूप में कार्य करनेवाला एक ही गुरु होता है, जबकि इस्कॉन के पास एक ही संस्था में अनेक गुरु हैं और साथ में एक गवर्नींग बॉडी (जी.बी.सी.) भी है जो पूरी संस्था के लिए ''परम प्रबन्धनीय अधिकारी'' के रूप में कार्य करती है। जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा है कि वे श्रील प्रभुपाद के उपदेशों का पालन करें और पूर्ण जी.बी.सी. के नीचे कार्य करें।

इस प्रकार आध्यात्मिक गुरुओं पर यह बन्धन है कि वे संस्था की नीतियों और आचारसंहिता का पालन करें, और जी.बी.सी. प्रबन्धन के द्वारा दिए गये निर्णयों को स्वीकार करें। (इसमें वे नियम भी सम्मिलित हैं, जो अभी इस समय आप जिसे पढ़ रहे हैं, उस जी.बी.सी.–अनुमोदित निबन्ध में रेखांकित किए गये हैं।) इस बन्धन में यह जिम्मेदारी भी सम्मिलित है कि, वे अपने

शिष्यों को इस्कॉन-प्रबन्धन के द्वारा चलाएं जाने वाले उनके इलाके में स्थित भक्तसमाज कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रात्साहित करें, न कि केवल अपने स्वयं के साथ (आध्यात्मिक गुरु के साथ) या केवल उन प्रकल्पों के साथ जिनका इस्कॉन के प्रबन्धनीय ढाँचे से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

शिष्यों को अपने अधिकारियों में टकराव नहीं लगाना चाहिए

शिष्यों को भी इस्कॉन के अन्दर के बड़े दृश्य को समझ लेना चाहिए। निश्चितही कोई आध्यात्मिक गुरु किसी जी.बी.सी. सदस्य से या किसी इस्कॉन-प्रबन्धक से आध्यात्मिक रूप में अधिक उन्नति किया हुआ हो सकता है (जबकि ऐसा भी हो सकता है कि, कोई स्थानीय जी.बी.सी. या इस्कॉन-प्रबन्धक किसी आध्यात्मिक गुरु से अधिक आध्यात्मिक उन्नति किया हुआ हो सकता है)।

फिर भी, संस्था के आध्यात्मिक प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने पहले ही साफ दिखा दिया है, श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण जी.बी.सी में और उसके व्यक्तिगत सदस्यों में और अन्य इस्कॉन प्रबन्धकों में अधिकार नियुक्त किया है।

यदि किसी शिष्य को गलती से यह विश्वास हो गया हो कि, उसका आध्यात्मिक गुरु पूर्ण जी.बी.सी. और इस्कॉन के कानूनों व नीतियों से भी ऊपर है, तो उसके इस विचार को आध्यात्मिक गुरु के द्वारा या अन्य अधिकारियों के द्वारा सुधार दिया जाना चाहिए। नहीं तो, यह सम्भव है कि,

उस गलतफहमी से वह ऐसे कार्य कर बैठेगा, जिनसे उसके आध्यात्मिक गुरु में और प्रबन्धनीय अधिकारियों में झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा।

वास्तव में, सभी शिष्यों को अपने इस्कॉन प्रबन्धकों का आज्ञापालन उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार सभी दीक्षा–व–शिक्षागुरुओं को इस्कॉन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आज्ञापालन करना चाहिए।

इसलिए, सिद्धान्त व आचरण दोनों में, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को अपने शिष्यों को न केवल भक्ति के विकास में प्रशिक्षित करना चाहिए वरन् उन्हें यह शिक्षण भी देना चाहिए कि, उनका इस्कॉन के प्रबन्धनीय ढाँचे के साथ क्या सम्बन्ध है और यह भी कि उनके आध्यात्मिक गुरु का उस ढाँचे के साथ क्या सम्बन्ध है।

सिद्धान्त–भूमिका

गुरु के शिष्यों का प्रशिक्षण

यह इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरुओं का उत्तरदायित्व है कि वे अपने प्रत्येक शिष्य को निम्नलिखित बातें समझने में सहायता करें।

(१) आध्यात्मिक गुरु को अपना अधिकार श्रील प्रभुपाद के प्रति उसकी जो निष्ठा है, उससे मिलता है। इसमें श्रील प्रभुपाद का यह आदेश भी सम्मिलित है कि उनके आन्दोलन—इस्कॉन के भीतर कार्य करें।
(२) आध्यात्मिक गुरु इस्कॉन का सदस्य है और इसलिए, वह इस्कॉन का जो जी.बी.सी. नामक नेतृत्व है, उसकी सामूहिक इच्छा के प्रति उत्तरदायी है।

(३) आध्यात्मिक गुरु को इस्कॉन की साधन-सम्पत्ति पर विशिष्ट या विशेषाधिकार केवल आध्यात्मिक गुरु होने के कारण नहीं मिलता। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक गुरु के जो भी विशिष्ट या विशेषाधिकार हैं, उनका उसे शिष्यों पर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
(४) शिष्यों को अपने इस्कॉन-अधिकारियों का आज्ञापालन ठीक उसी तरह करना चाहिए, जिस प्रकार सभी दीक्षा-व शिक्षागुरु अपने स्वयं के इस्कॉन-अधिकारियों का आज्ञापालन उदाहरण स्थापित करते हुए करते हैं।
(५) शिष्यों को आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से कृष्ण को शरणागत होने का आवश्यक कार्य करना है और इस कार्य में यह कार्य भी सम्मिलित है कि इस्कॉन-प्रबन्धन के अन्दर अन्य वरिष्ठों को पहचानना और उनका आदर करना, जो सभी उसे आध्यात्मिक प्रगती के मार्ग में सहायता कर रहे हैं।
(६) जो प्रबन्धक आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, वे शिष्यों के लिए प्रमुख शिक्षा-गुरु भी हो सकते हैं, यद्यपि वे शिष्य उन प्रबन्धकों के दीक्षा-शिष्य नहीं होंगे और ऐसे सम्बन्धों को दीक्षागुरुओं द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

गुरुओं का आचरण

इसके अलावा, अधिकार की प्रबन्धनीय रेखा को आदर दर्शाने के लिए, और प्रबन्धकों की आध्यात्मिक रेखा के प्रति होनेवाली श्रद्धा को पोषित और सुरक्षित करने के लिए, प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु को निम्नलिखित बाते करनी चाहिए :

(१) जब कोई आध्यात्मिक गुरु पहली बार किसी इस्कॉन मन्दिर या प्रचार-केन्द्र में जाता है—या इससे अच्छा है कि जाने से भी पहले—वह वहाँ के स्थानिक प्रबन्धक को यह पूछे कि, अपनी भेंट के दौरान वह किस प्रकार उस

मन्दिर के भक्तों की सेवा करें (न कि आध्यात्मिक गुरु अपना खुद का ही कार्यक्रम चलाए)।
(२) जहाँ पर कोई स्थानिक मन्दिर या प्रचार-केन्द्र न हो, ऐसे क्षेत्र या प्रदेश में जाने से पहले वहाँ के क्षेत्रीय जी.बी.सी. को यह पूछे कि वहाँ उसकी या वहाँ के स्थानिक नेताओं की उस प्रदेश के लिए कोई ठोस योजना या दृष्टि है जिसे वह (आध्यात्मिक गुरु) पूरा कर सकता है ?
(३) यदि प्रबन्धनीय निर्णयों के बारे में कोई मतभेद हो, तो वह (आध्यात्मिक गुरु) सम्बन्धित अधिकारी से सहयोग करने का पूरा प्रयत्न करें। यदि कोई समझौता हो ही नहीं सकता, तो उसे सम्बन्धित अधिकारी के निर्णय को मान लेना चाहिए, परन्तु वह उस अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर पुनर्विचार की प्रार्थना का पर्याय चुन सकता है।

प्रबन्धकों के कर्तव्य

इस्कॉन में सहयोग बढ़ाने के लिए, अधिकार की आध्यात्मिक रेखा के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए, और आध्यात्मिक गुरु व उनके शिष्यों की प्रबन्धनीय रेखा में जो श्रद्धा है, उसे पुष्ट व सुरक्षित करने के लिए, सभी प्रबन्धकों को निम्नलिखित बाते करनी चाहिए :

(१) अपने प्रदेश में आनेवाले दीक्षागुरु और दूसरे घूमनेवाले प्रचारक जो भी परामर्श दें—विशेष करके भक्तों की देखभाल के मामलों पर—उसमें ग्रहणशील रहें।
(२) अपने आश्रय के लोगों की शुद्ध भक्तिमय सेवा के प्रति, और दीक्षागुरु का स्वीकार और उसकी सेवा करने के प्रति जो श्रद्धा है, उसकी रक्षा करें।
(३) अपने प्रबन्धन के क्षेत्र में, भक्त-परवरिश के कार्यक्रम को संरक्षण व बढ़ावा दे (जैसे, काउनसेलर पद्धति, ब्राह्मण-सलाह-समिति इत्यादि)।

(४) यह भी देखें कि, अपने अधिकार की रेखा में जो भी प्रबन्धक हैं, वे स्वयं भक्त-परवरिश के सिद्धान्तों में प्रशिक्षित हैं।
(५) भेंट देनेवाले आध्यात्मिक गुरुओं को यह जानकारी दें कि, उनके शिष्यों के आध्यात्मिक स्वास्थ्य व उनके सर्वांगीण कल्याण की देखभाल कैसे हो रही है।
(६) भेंट देनेवाले आध्यात्मिक गुरु और दूसरे घूमनेवाले प्रचारकों को, उनके ऐसे शिष्यों तक पहुँचने के लिए सहायता व प्रोत्साहन दें, जिन शिष्यों को उनकी जरुरत है और जो उनकी सहायता के प्रति सबसे अधिक उत्साहपूर्वक अनुकूल होंगे।
(७) इसकी पड़ताल करें कि, दीक्षा-सिफारिश की न्यायसंगत व पक्षपातरहित व्यवस्था हो, जो स्थानिक प्रबन्धन के द्वारा प्रबन्धनीय सुविधाओं के लिए डाले गए अनुचित दबाव या हाथकंड़ों को क्षमा न करती हो।

सारांश

भक्तों के आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण समृद्धता को बढ़ावा देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के लिए एक प्रबन्धनीय रचना बनायी, जिसमें अधिकार की स्पष्ट रेखाएं दर्शायी गयी हैं। इस्कॉन के प्रत्येक सदस्य को इसी रचना का आदर करना है और इसके भीतर काम करना है। प्रबन्धनीय रेखा का लक्ष्य आध्यात्मिक है : इस्कॉन के सदस्यों की आध्यात्मिक प्रगती के लिए भक्तसंगति, सेवा-अवसर व प्रभावकारक प्रचार-नीति के माध्यम से सुविधा प्रदान करना। साथ ही साथ इस्कॉन एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के मूलभूत तत्त्व को भी महत्त्व देता है।

सर्वश्रेष्ठ महत्त्व तो हमारे संस्थापक–आचार्य श्रील प्रभुपाद का ही है, जो इस्कॉन के अनेक भक्तों के दीक्षागुरु हैं और अभी के व भविष्य के सभी भक्तों के सर्वोपरि शिक्षागुरु हैं। इस्कॉन में अभी सेवा करने वाले अनेक दीक्षागुरु व शिक्षागुरु भी महत्त्वपूर्ण हैं।

उसी प्रकार, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को और उनके शिष्यों को हमारी संस्था के अनेक प्रबन्धकों (व्यवस्थापकों) का महत्त्व भी समझना चाहिए, जो शिष्यों को मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देते हैं और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्कॉन जो सुविधाएं देता है, उनकी देखभाल करते हैं। सभी आध्यात्मिक गुरुओं को और उनके शिष्यों को, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और संस्था की समृद्धता के लिए, इस्कॉन की प्रबन्धनीय प्रणाली को सहयोग देते हुए काम करना है।

यह सहयोगपूर्ण व परस्पर आदरयुक्त भावना ही संस्था की एकता को बनाए रखने का, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का और संकीर्तन आंदोलन को फैलाने का सर्वोत्तम मार्ग है।

चैतन्य महाप्रभु के भाव में, श्रील प्रभुपाद ने यह इच्छा की थी कि, यह संकीर्तन आंदोलन संपूर्ण जगत् में ''हर नगर और हर ग्राम'' में पहुँचे। उन्होंने इस इच्छा को सतत यात्रा करके, पुस्तकें लिखकर व प्रवचन देकर प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने शिष्यों को सर्वत्र केन्द्र खोलना, उनके ग्रंथों का वितरण करना, आकर्षक महोत्सव आयोजित करना, प्रसाद का वितरण करना इत्यादि का आदेश दिया। यह श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि, इस्कॉन सतत बढ़ता रहे और भगवान् चैतन्य की कृपा का वरदायी चन्द्र होकर उदित हो।

इसी उद्देश्य के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में स्थापित करके उसे प्रबन्धनीय रचना प्रदान की। इस रचना का उद्देश्य श्रील प्रभुपाद द्वारा बनाए गये मानदण्डों को स्थापित करना, भक्तों को आश्रय व आध्यात्मिक पोषण प्रदान करना और संकीर्तन आन्दोलन को बढ़ाकर उसे आधार प्रदान करना है। श्री श्री गौर-निताई की कृपा बद्ध जीवों को प्रदान करके श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, इस्कॉन में प्रत्येक को—आध्यात्मिक गुरु, शिष्य व प्रबन्धक सभी को समान रूप से—इसी रचना में मिलजुलकर काम करना है।